



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांक: आर0एम0पी0यू0 / 1411 / 2026

दिनांक 23.08.2026

अधिसूचना

एतद्वारा अवगत कराना है कि छात्र हित में मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 22.08.2026 में एल0एल0बी0/बी0ए0एल0एल0बी0/ एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम के विधि अध्यादेश में संशोधन किए जाने के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया—

1. सत्र 2025-26 से एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम के समस्त छात्र/छात्राओं को अग्रिम कक्षा में प्रोन्नत किये जाने का निर्णय लिया गया तथा एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय) के छात्र को सेमेस्टर की नियमित तथा बैंक परीक्षा अधिकतम छः वर्ष में पूर्ण करने पर उपाधि दी जायेगी।
2. सत्र 2025-26 से बी0ए0एल0एल0बी0 (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम के समस्त छात्र/छात्राओं को अग्रिम कक्षा में प्रोन्नत किये जाने का निर्णय लिया गया तथा बी0ए0एल0एल0बी0 (पंचवर्षीय) के छात्र को सेमेस्टर की नियमित तथा बैंक परीक्षा अधिकतम आठ वर्ष में पूर्ण करने पर उपाधि दी जायेगी।
3. सत्र 2025-26 से एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम के समस्त छात्र/छात्राओं को अग्रिम कक्षा में प्रोन्नत किये जाने का निर्णय लिया गया तथा एल0एल0एम0 के छात्र को सेमेस्टर की नियमित तथा बैंक परीक्षा अधिकतम चार वर्ष में पूर्ण करने पर उपाधि दी जायेगी।
4. विधि अध्यादेश में वर्णित वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप 48 प्रतिशत सकल प्राप्तांक तथा विषयवार 40 प्रतिशत के स्थान पर प्रत्येक पेपर में कुल 36 प्रतिशत अंक तथा प्रत्येक सेमेस्टर में सकल प्राप्तांक 45 प्रतिशत प्राप्त करने वाले छात्र उत्तीर्ण माने जायेंगे।
5. एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय)/बी0ए0एल0एल0बी0 (पंचवर्षीय)/ एल0एल0एम0 में किसी छात्र को किसी सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के लिए कुल सकल प्राप्तांक प्राप्त नहीं होते हैं तो छात्र आगामी विषम/सम सेमेस्टर में प्रवेश कर सकेगा तथा एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय)/ बी0ए0एल0एल0बी0 (पंचवर्षीय)/एल0एल0एम0 का छात्र पूर्व विषम/सम सेमेस्टर के विषयों को आगामी विषम/सम सेमेस्टर में बैंक पेपर परीक्षा देकर सेमेस्टर को उत्तीर्ण कर सकेगा।

अतः समस्त प्राचार्य/प्रचार्या संबंधित महविद्यालय से अनुरोध है कि मा0 कार्य परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में संबंधित छात्रों को तीन कार्य दिवसों में प्रोन्नत करने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।


(प्रबुद्ध सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त प्राचार्य/प्रचार्या संबंधित महविद्यालय।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. निजी सचिव, मा0 कुलपति जी, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

/

कुलसचिव